न्यायालय, सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़

(पीठासीन अधिकारी – विकास पंचोली आरएएस)

प्रकरण संख्या: –169/2016वाद

GCMS No.–2016/01091

1. उदयलाल पिता किशनलालजी ब्राह्मण निवासी मण्डलाचारण हा०मु० निम्बाहेडा तह० निम्बाहेडा मृतक के बजाए–

   1/1 लता पुत्री उदयलाल पत्नि लोकेशजी ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

   1/2 नीता पुत्री उदयलाल पत्नि प्रदीपजी ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

   1/3 संस्कार पुत्र उदयलाल ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

   1/4 आयुश पुत्र उदयलाल आयु 16 वर्ष ना०ज०स० माता निर्मला देवी बेवा उदयलाल ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

   1/5 आयुशी पुत्री उदयलाल आयु 16 वर्ष ना०ज०स० माता निर्मला देवी बेवा उदयलाल ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

– वादीगण

बनाम

1. देऊबाई पिता किशनलाल जी पत्नि बंशीलाल जी जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी मंडलाचारण हा०मु० मद्युडिया तह० व जिला नीमच म०प्र०
2. पुष्पाबाई पिता किशनलाल जी पत्नि स्व०मथुरालाल जी नातायत पत्नि शिवलाल कुमावत आयु वयस्क निवासी नाराणी हा०मु० बिनोता तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
3. रेखा उर्फ कालीबाई पुत्री स्व० मथुरालालजी पत्नि दिनेशजी जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी हाल०मु० निम्बाहेडा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
4. कमला उर्फ कना पुत्री स्व० मथुरालालजी पत्नि प्रभुलाल जी जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी जलिया तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार एवं पदेन उपपंजीयक महोदय निम्बाहेडा

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,1[illegible] राजस्थान [illegible] अधिनियम– 1955

उपस्थित :– 1– श्री नरेन्द्र वै[illegible] – अधिवक्ता [illegible]

2– श्री योगेन्द्र सोलंकी – अधिवक्ता [illegible]वादी 1,3,4

:: निर्णय ::

दिनांक :– 05.08.2024

सहायक कलक्टर
निम्बाहेडा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:41:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की पैतृक आराजियात वाके मोजा विरीयाखेडी प०ह० मण्डलाचारण तह० निम्बाहेडा की खाता सं० 13 की आराजी नं0 196 रकबा 0.9600 हेक्टेयर , आ०नं0 197 रकबा0.2200 हेक्टेयर ,आ0नं0 198 रकबा 0.2800 हेक्टेयर ,आ०नं० 199 रकबा 0.5300 हेक्टेयर , आ०नं० 200 रकबा 0.3900 हेक्टेयर, आ0नं0 202 रकबा 0.6200 हेक्टेयर , आ0नं0 203 रकबा 0.2300 हेक्टेयरकुल किता 7 कुल रकबा 3.2300 हेक्टेयर स्थित हैं।

2. वादग्रस्त आराजियात वादी के पिता किशनलाल पिता गब्बा जी जाति ब्राह्मण निवासी मण्डलाचारण की खातेदारी व कब्जे काश्त की चली आ रही थी, वादी के पिता किशनलाल जी ब्राह्मण ने वादग्रस्त सभी आराजियात अपने जीवनकाल में वादी को मौखिक रूप से आज से करीब 30 वर्ष पूर्व पारिवारीक सेटलमेन्ट से बाहमी बंटवारे से दी थी, तथा किशनलाल जी ने अपने हक हिस्से में अन्य सम्पत्ति रखी थी और उक्त आराजियात में किशनलाल जी ने अपना व अपने अन्य वारिसान का कोई हक हिस्सा नहीं रखा था तथा उक्त मौखिक बंटवारे को मानते हुए एक याददाश्त बंटवारा नामा समझौता पत्र वादी एवं उसके पिता किशनलाल जी द्वारा आपसी सहमति से दिनांक 11. 01.1991 को रूबरू गवाहान निष्पादित कराया था। वादी के पिता किशनलाल जी का देहान्त सन् 1998 में हो गया और उनके देहान्त के बाद वादग्रस्त आराजियात पर 30 वर्ष से वादी अकेला अपने हक हिस्से व पारिवारीक सेटलमेन्ट में मिली काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा हैं तथा प्रतिवादी सं० 2 पुष्पाबाई जो वादी की बहन हैं, जिसकी शादी वादी के पिता किशनलाल जी ने अपने जीवनकाल में मथुरालाल पिता शंकरलाल जी ब्राह्मण नि० घटेरा तह० डूंगला के साथ सम्पन्न कराया था। मथुरालाल का देहान्त सन् 1986 में हो गया था और मथुरालाल जी का समस्त धार्मिक क्रियाकर्म वादी एवं उसके पिता ने सम्पन्न कराया था, जिसका समस्त खर्चा वादी व उसके पिता ने वहन किया था तथा मथुरालाल के पिता शंकरलाल के समस्त धार्मिक क्रियाकर्म का खर्चा भी वादी व उसके पिता ने अदा किया था तथा जो भी हक हिस्सा प्रतिवादी सं० 1 व 2 को देना था वह नकद प्रतिफल के रूप में वादी के पिता किशनलाल जी ने अपने जीवनकाल में दे दिया था।

3. वादग्रस्त आराजियात में प्रतिवादी सं० 1 व 2 का कोई हक हिस्सा नहीं रहा था। प्रतिवादी सं० पुष्पाबाई के पति मथुरालाल जी के देहान्त के 1 बाद प्रतिवादी सं० 1 अपनी दोनो पुत्रीयो को नाबालिग अवस्था में अपने पीहर वादी उदयलाल व उनके पिता के यहाँ मण्डलाचारण में लेकर आ गई और दो तीन वर्ष तक मण्डलाचारण में रही, इसी दौरान पुष्पाबाई का गलत चाल चलन होने से वह अन्य जाति के शिवलाल कुमावत निवासी नाराणी के सम्पर्क में आकर अपनी नाबालिग पुत्रीयो को अपने पिता के यहाँ छोड कर एवं अपने समस्त हक हिस्से का मौखिक रूप से त्याग कर शिवलाल के साथ सन् 1990 में अपने पिता के जीवनकाल में ही [illegible] चली गई और तभी से उसी के साथ रह रही हैं। इसी सदमे की वजह से वादी के पिता किशनलाल जी का सन् 1998 में स्वर्गवास हो गया। पुष्पाबाई [illegible] व 4 की समस्त भरणपोषण, पढाई लिखाई, [illegible] खर्चा वादी ने वहन किया तथा उनको पढा लिखा कर बडा किया और उनकी [illegible] यों भी वादी ने ही सन् 2004 में करवाई और उनको ससुराल विदा किया तथा आज भी उनके समस्त धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रम आदि का खर्चा वादी ही वहन करता चला आ रहा हैं। वादी के पिता किशनलाल जी का देहान्त हो जाने के बाद सहवन से राजस्व कर्मचारीयो की गलती

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:41:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
निम्बाहेडा

Scanned by CamScanner

की वजह से वादग्रस्त आराजियात में वादी के साथ प्रतिवादी सं० 1 व 2 का नाम भी सहवन से दर्ज हो गया। जबकि वादग्रस्त सभी आराजियात वादी के पिता ने पारिवारीक मौखिक बंटवारे को मानते हुए एक याददाश्त बंटवारा नामा समझौता सेटलमेन्ट से वादी को 30 वर्ष पूर्व ही मौखिक रूप से दे दी थी और उक्त पत्र वादी एवं उसके पिता किशनलाल जी द्वारा आपसी सहमति से दिनांक 11.01.1991 को रूबरू गवाहान निषादित कराया था तथा प्रतिवादी सं० 1 व 2 का वादग्रस्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं रखा था और जो भी हक हिस्सा था वह प्रतिवादी सं० 1 व 2 ने मौखिक रूप से हक त्याग कर दिया था । वादी 30 वर्षों से समय से लगातार, बिना किसी बाधा के काबिज होकर शांति पूर्वक काश्त करता आ रहा है। वादग्रस्त आराजियात में प्रतिवादी सं० 1 व 2 का नाम राजस्व रेकार्ड में सहवन से दर्ज हो जाने से वादी ने प्रतिवादी सं0 1 व 2 को पुनः वादग्रस्त आराजियात वादी के नाम पर दर्ज कराने हेतू कहा तो प्रतिवादी सं0 1 व 2 इंकार कर रहे हैं एवं वादी के नाम खातेदारी में घोषित कराकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने से इंकार हो गये, इसलिये वादी वादग्रस्त आराजियात की खातेदारी घोषणा अपने नाम कराने का अधिकारी हैं।

4. वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रतिवादीगण को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया, प्रतिवादी संख्या 2 बावजुद बाद तामिल वकील मय प्रतिवादीगण अनुस्थित, इसलिए इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश प्रदान किया गया। प्रतिवादी संख्या 1,3,4 की और अधिवक्ता श्री योगेन्द्र सौलंकी ने वकालतनामा मय जवाबदावा पेश कर वाद वादी डिक्री किए जाने का निवेदन किया।

1. वभिन्न न्यायिक दृष्टांतो का अध्ययन किया जो कि निम्नानुसार हैः–

i. भंवरसिंह व अन्य बनाम चन्द्र व अन्य आर.आर.टी 2009(1) 369
ii. गुरदयालसिंह बनाम कौरसिंह व अन्य आर.आर.टी 2012(1) 579

5. उक्त प्रकरण में दिनांक 25.01.2017 को दोनों पक्षों के अभिवचनों के आधार पर तनकीयात कायम की गयी थी जो निम्नानुसार हैः–

1. आया वादग्रस्त भूमि वादी को उसके पिता ने 30 वर्ष पूर्व पारिवारिक सेटलमेंट से मौखिक बटवाड़े से अकेले वादी को दी गयी है। सिज पर वादी शांतिपूर्ण तरीके से काबिज होकर लगातार बिना किसी बाधा के काबिज चला आ रहा है। इसलिए वादी वादग्रस्त भूमि की घोषणा अपने नाम कराने का अधिकारी है तथा प्रतिवादी नं 1 व 2 का नाम विलोपित कराने का अधिकारी है?

– जिम्मे वादी

2. आया वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्रचलित कराने का अधिकारी है।

–जिम्मे प्रतिवादी

सहायता व व्यय।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:41:55 IST
Reason: SelfAttested

1. <u>तनकी नंबर 1</u> को साबित करने ... द्वारा अपने दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबंदी सम्वत् 2061 ... पूरानी जमाबंदी सम्वत् 2058–2061 पेश की है तथा वादी द्वारा याददाश्त बटवाड़ानामा समझौता पत्र प्रदर्श 10ए पेश किया तथा उक्त बटवाड़ानामा को साबित करने के लिए गवाह वादी पीडब्लू 1 संस्कार व पीडब्लू 2 दस्तावेज लेखक मोहम्मद हुसैन व पीडब्लू 3 देवराज पिता मोठा जी चारण को पेश किया और प्रतिवादी क्रमांक 1 देऊबाई द्वारा डीडब्लू 1 के रूप में न्यायालय बयान हेतु उप. हुई जिसके द्वारा जिरह में उक्त याददाश्त बटवाड़ा उनके

सहायक कलक्टर निम्बाहेड़ा

Scanned by CamScanner

पिता किशनलाल द्वारा वादी उदयलाल के पक्ष में निष्पादित कराना स्वीकार किया है और कब्जा बटवाडे के समय से उदयलाल जी का व उदयलाल जी के देहांत के बाद उनके पुत्रों का कब्जा चला आना स्वीकार किया हैं। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि किशनलाल जी द्वारा वादी उदयलाल के पक्ष में दिया जाना वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से व याददाश्त समझौता पत्र अनुसार व वादग्रस्त आराजीयात के पड़ोसियान पीडब्लू 1, पीडब्लू 4 शिवा व पीडब्लू 5 गिरधारी द्वारा बटवाड़े के समय से 30–35 वर्षो से अधिक समय से वादी का होना साबित कराया है तथा मौके पर प्रतिवादीगण का बटवाड़े के बाद से कभी कोई कब्जा नहीं होना साबित कराया है तथा डीडब्लू 1 देऊबाई द्वारा भी उक्त भूमि वादीगण की कब्जे की होना स्वीकार किया व वादग्रस्त आराजीयात में प्रतिवादीगण का कोई कब्जा किसी हैसियत से कभी नहीं होना स्वीकार किया और उक्त भूमि वादीगण के नाम घोषित किये जाने में व राजस्व रेकॉर्ड से प्रतिवादी न. 1 व 2 का नाम विलोपित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं की। इस प्रकार उक्त वादग्रस्त भूमि वादी को उनके पिता ने 30 वर्ष पूर्व पारिवारिक सेटलमेंट से मौखिक बटवाड़े से अकेले वादी को दी गयी है। जिस पर वादी लगातार बिना किसी बाधा के काबिज चला आ रहा है। इसलिए वादग्रस्त भूमि वादीगण की खातेदारी की घोषित की जाती है और प्रतिवादी नंबर 1 व 2 का नाम राजस्व रेकॉर्ड से विलोपित किये जाने का आदेश दिया जाता है। इस प्रकार वादी तनकी नंबर 1 को साबित कराने में पूरी तरह सफल रहे। इसलिए तनकी नंबर 1 का निर्णय वादी के पक्ष में किया जाता है।

2. <u>तनकी नंबर 2</u> को साबित कराने का भार वादी पर था और वादी द्वारा अपनी दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य के रूप में पीडब्लू 1 वादी व पीडब्लू 2 से पीडब्लू 5 के रूप में दस्तावेज के गवाह व वादग्रस्त आराजीयात के पड़ोसियान के बयान कराये है जिससे वादी का कब्जा उनके पिता के समय से मौखिक बटवाड़े से 30–35 वर्षो से चला आना स्वीकार किया है तथा प्रतिवादी न. 1 डीडब्लू 1 द्वारा भी मौके पर कब्जा वादी उदयलाल का व उसके देहांत के कब्जा उनके वारिसान का होना स्वीकार किया है इसलिए उक्त आराजीयात पर कब्जा पूरी तरह से वादी अकेले का है। प्रतिवादीगण का कोई कब्जा वादग्रस्त भूमि पर नहीं है इसलिए वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्रचलित कराने का अधिकारी है। इसलिए तनकी नंबर 2 का निर्णय वादी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

वकील वादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टायंतो का ससम्मान अवलोकन किया गया है। उक्त न्यायिक दृष्टयांत उक्त प्रकरण पर पूर्णतः चस्पा होते है। इसलिए वाद वादीगण स्वीकार किया जाता उचित प्रतीत होता है।

<u>घोषणा है कि</u>

वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा [illegible] राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 पर्याप्त सबूतों के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार किया जाता है एवं विरीयाखेडी [illegible] की खसरा [illegible] आराजी नं0 196 रकबा 0.9600 हेक्टेयर , आ०नं0 197 [illegible] नं0 198 रकबा 0.2800 हेक्टेयर ,आ०नं० 199 रकबा 0.5300 हेक्टेयर , आ०नं[illegible]00 रकबा 0.3900 हेक्टेयर, आ0नं0 202 रकबा 0.6200 हेक्टेयर , आ0नं0 203 रकबा 0.2300 हेक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 3.2300 हेक्टेयर का सम्पूर्ण हिस्सा वादीगण के नाम दर्ज किया जाने की घोषणा की जाती है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से विलोपित किये जाने की घोषणा की जाती है। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा घोषणा अनुसार राजस्व

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:41:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

रिकार्ड वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करावें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 05.08.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ)

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:41:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner